दूरभाष: 23072314

सं. 18(1)/2025/पीओ(एलएस)/डीपी(एएंडसी)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
रक्षा उत्पादन विभाग
योजना एवं समन्वय निदेशालय
पंचम तल, 'सी' ब्लाक, रक्षा कार्यालय परिसर
कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक : 16 जून 2025

सेवा में,

वितरण सूची के अनुसार (पृष्ठ -04)

विषय : **योजना एवं समन्वय निदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति के आधार पर योजना अधिकारी (एलएस) की नियुक्ति**

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि योजना एवं समन्वय निदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय में योजना अधिकारी (एलएस) (6वें वेतन आयोग के तहत पे बैंड-4 के तहत वेतनमान रूपये 37400-67000(रूपये- सैंतीस हजार चार सौ –सडसठ हजार) एवं ग्रेड पे – रूपये 8700/- (रूपये - सतासी हजार) का एक (01) पद रिक्त हो रहा है। योजना एवं समन्वय निदेशालय के स्थापित प्रतिमानकों एवं वर्तमान भर्ती नियमों के अनुसार यह पद सशस्त्र सेनाओं- सेना/वायुसेना/नौसेना के अधिकारियों जिनका मूल रैंक क्रमशः कर्नल/ग्रुप कैप्टेन/कैप्टेन हो या फिर अखिल भारतीय सिविलियन सर्विस कैडर में उप सचिव/ संयुक्त सचिव नियमित पद पर कार्यरत अधिकारी या आईओएफएस/डीआरडीओ/डीपीएसयू में उनके समतुल्य अधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जाएगी।

2. योजना अधिकारी (एलएस) के लिए कार्य विनिर्देश:

i) सम्पूर्ण रूप से देश में रक्षा मदों से संबद्ध उत्पादन क्षमताओं और तकनीकों, विविध उत्पादों की संभावित उपलब्धता की अद्यतन जानकारी प्राप्त करने की दृष्टि से रक्षा उत्पादन विभाग के साथ-साथ भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों में भू-प्रणाली योजनायों में युद्ध –सामग्री, गोला –बारूद और विस्फोटक, विविध बक्तरबंद और विशेष वाहन योजनाएं से संबंधित सूचनाओं का एकत्रण, अध्ययन और विश्लेषण।

ii) भू प्रणाली के क्षेत्र में तकनीक को कार्यान्वित करना, विभिन्न उप प्रणाली में आधुनिकतम एवं तकनीक की दिशा में हो रहे कार्य के बारे में अद्यतन रहना।

iii) रक्षा उत्पादन विभाग में भू-प्रणाली प्रभाग से संबंधित तकनीकी सहायता कार्य।

iv) उत्पादन क्षमता, कच्ची सामग्री की आवश्यकता, रक्षा उद्योगों के बीच मध्यस्थ, रक्षा लोक सार्वजनिक उपक्रम संबंधित भू प्रणाली का विश्लेषण।

v) बख्तरबंद वाहनों के नई जनरेशन का उत्पाद मॉनिटर, स्वदेशीकरण, तकनीक के हस्तांतरण की मोनिटरिंग।

vi) प्रभाग के उत्तरदायित्व में आने वाली परियोजनाओं की प्रगति।

vii) उत्पाद संगठनों (आयुध निर्मानियाँ) की योजनाओं और जनशक्ति एवं वित्तीय प्रस्तावों का प्रकमण और प्रोजेक्ट प्रवंधन बोर्ड की बैठक की व्यस्था करना।

viii) संविदा की दायरे में तकनीक का हस्तांतरण ।

ix) उत्पाद एजेंसियों और अनुसन्धान और विकास (आर एंड डी) संस्थाओं के बीच अंतः मध्यस्थ करना।

x) विदेशी सरकारों के साथ रक्षा उत्पादन यूनिटों के आपसी संपर्क को सुविधाजनक बनाना ।

xi) देश में रक्षा उत्पादन यूनिटों के संबंध में रक्षा उत्पादों का निर्यात/ निर्यात प्रोत्साहन प्रगति की समीक्षा करना।

xii) निर्यात के लिए थ्रस्ट के क्षेत्र की पहचान।

3. अनिवार्य/वांछनीय योग्यता:

(क) अधिकारी का समग्र निष्पादन मूल्यांकन औसत से काफी अच्छा होना चाहिए। अधिकारी को पदोन्नति के लिए स्थायी रूप से हटाया नहीं जाना चाहिए।

(ख) एलडीएमसी योग्यता

(ग) भू-प्रणाली उपकरण से संबंधित नियुक्ति के लिए तकनीकी स्टाफ कोर्स(टीएमसी) या स्टाफ कोर्स उत्तीर्ण (पीएससी) योग्यता वांछनीय है। अधिकारी को रक्षा उपकरणों का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए विशेष रूप से भू-प्रणाली से संबंधित। अधिकारी को रक्षा खरीद प्रक्रिया से भी परिचित होना चाहिए।

(घ) आर्टिलरी, एयर डिफेंस, और आयुध विभाग के अधिकारियों को प्राथमिकता दी जाएगी ।

4. विधा/अर्हता:

भारत सरकार के सेवारत अधिकारी/पी एस यू के कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण निम्नानुसार:-

I. अखिल भारतीय सेवा के उपयुक्त अधिकारी, आईओएफएस या केंद्रीय सिविल सेवा ग्रुप 'ए' के सदृश पद पर कार्यरत अधिकारी

या

II. डीआरडीओ/आईओएफएस/सेना/वायु सेना/नौसेना में सदृश पद पर कार्यरत अधिकारी

5. प्रतिनियुक्ति की शर्तें:

क) प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 05 वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि के अभिकलन में इस नियुक्ति से तुरन्त पहले किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि की भी गणना की जाएगी।

ख) प्रतिनियुक्ति पर चयनित अधिकारी का वेतन सरकार के वर्तमान आदेशों/अनुदेशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा। प्रतिनियुक्ति पर सैन्य अधिकारियों के चयनित होने पर वे अपने वेतन एवं भत्ते अपने सी डी ए से प्राप्त करेंगे।

6. <u>आवेदन करने की प्रक्रिया</u>

पात्र/इच्छुक अधिकारी, जिन्हे चयनित होने पर प्रतिनियुक्त के पूरे कार्यकाल तक के लिए छोडा जा सके, इस परिपत्र के साथ संलग्न प्रोफार्मा के आधार पर अपने आवेदन संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारी से विधिवत संस्तुति कराकर पिछले 05 वर्षों की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतियों/एसीआर डाजियर के साथ **संयुक्त निदेशक (प्रशासन एवं समन्वय), रक्षा मंत्रालय, योजना एवं समन्वय निदेशालय, कमरा सं. 501, पंचम तल, 'सी' ब्लाक, रक्षा कार्यालय परिसर , के जी मार्ग, नई दिल्ली- 110001** के पते पर अग्रेषित कर सकते हैं। आवेदन इस परिपत्र के जारी होने की तारीख से 45 दिनों के अंदर उक्त पते पर पहुंच जाएं। आवेदनकर्ताओं को भर्ती प्रक्रिया के बीच में अपना आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं होगी।

7. आवेदन केवल संलग्न प्रोफार्मा पर ही किया जाए। सैन्य अधिकारियों के संबंध में जहां भी वांछनीय हो उनका सेवा रिकार्ड प्रस्तुत किया जाएगा।

8. प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा एक प्रमाण पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया जाए कि संबंधित अधिकारी द्वारा दी गई सारी जानकारी सही है और अधिकारी के विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक मामला लंबित या विचारार्थ नहीं है।

9. सभी प्रेषिती से अनुरोध है कि इस परिपत्र को व्यापक रूप से परिचालित करें। सभी सैन्य मुख्यालयों के साथ-साथ डी पी एस यू से अनुरोध है कि वे इस रिक्ति परिपत्र का व्यापक प्रचार करें एवं इसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें। इस परिपत्र को इस निदेशालय द्वारा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट <u>www.ddpmod.gov.in</u> पर 'Vacancy & Circular' हाइपर लिंक के अंतर्गत **'योजना एवं समन्वय निदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति के आधार पर योजना अधिकारी (एलएस) की नियुक्ति'** नाम से अपलोड किया गया है।

(ए के सिंह)
संयुक्त निदेशक(प्रशासन एवं समन्वय)

<u>वितरण:</u>

1. रक्षा मंत्रालय का एकीकृत मुख्यालय(सेना)
   एम एस शाखा/एम एस -3बी
   साउथ ब्लाक, नई दिल्ली
2. विंग कमांडर पी ओ -1 (आंतरिक प्रतिनियुक्ति)
   कमरा सं. 328(सी), वायु सेना मुख्यालय, वायु भवन
3. नौसेना मुख्यालय/ डीओपी, 'सी' विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-11
4. निदेशक जी
   डी ओ ओ (सी एंड एस)
   के जी मार्ग, नई दिल्ली -01
5. आई डी एस मुख्यालय, कश्मीर हाउस, नई दिल्ली -11
6. सभी मंत्रालय/भारत सरकार के विभाग (रक्षा उत्पादन विभाग की वेबसाइट के माध्यम से)
7. डी आर डी ओ (निदेशक/कार्मिक), डी आर डी ओ भवन
8. डी जी क्यू ए/प्रशासन-4, 'जी' ब्लाक, नई दिल्ली -11
9. <u>कैडर नियंत्रक प्राधिकारी:-</u>

   i. अवर सचिव, सी एस -1 विभाग, डी ओ पी टी
      द्वितीय तल, लोकनायक भवन, नई दिल्ली
   ii. निदेशक(ई), 'बी' विंग, सेना भवन
   iii. पी-1, संयुक्त सचिव(प्रशिक्षण) एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
      'ई' ब्लाक, नई दिल्ली -11
10. सभी डी पी एस यू
11. एन आई सी (रक्षा) समन्वयक- उपर्युक्त रिक्ति परिपत्र के पैरा 09 पर उल्लिखित यह रिक्ति परिपत्र रक्षा उत्पादन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु आपको ई-मेल किया जा रहा है।

बायोडाटा प्रोफार्मा
योजना अधिकारी (एलएस) हेतु आवेदन पत्र

1. नाम एवं पता:

2. जन्मतिथि:

3. केंद्र/राज्य सरकार के नियमों के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तारीख:

4. शैक्षिक अर्हता:

5. क्या पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हता पूरी हो रही हैं:
(यदि कोई अर्हता नियमों में वर्णित अर्हता के समतुल्य मानी
जा रही है तो उसके लिए प्रधिकार प्रस्तुत करें)

अपेक्षित अर्हता/अनुभव	अधिकारी द्वारा अर्जित अर्हता/अनुभव

अनिवार्य : (क)
(ख)
(ग)

वांछनीय: (क)
(ख)

6. कृपया स्पष्टतः यह बताएं कि आप इस पद की अपेक्षाएं पूरी कर रहे हैं या नहीं:
(आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर)

7. सेवायोजन का विवरण, कालनुक्रम में:

(नीचे दी गई जगह कम होने की दशा में, सूचना एक अन्य शीट में स्वहस्ताक्षर से प्रमाणित कर लगाएं)

कार्यालय/संस्थान/संगठन	धारित पद	कब से	कब तक	वेतन स्केल एवं मूल वेतन	कार्य की प्रकृति

8. वर्तमान सेवा की प्रकृति :
(तदर्थ/अस्थायी/अर्द्ध-सरकारी/स्थायी)

9. यदि वर्तमान सेवायोजन प्रतिनियुक्ति/संविदा के आधार पर है तो, कृपया बताएं:

क) आरम्भिक नियुक्ति की तारीख

ख) प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति का काल

ग) मूल कैडर/संगठन का नाम

10. वर्तमान सेवायोजन के बारे में अतिरिक्त विवरण

क) केंद्र सरकार

ख) राज्य सरकार

ग) स्वायत्त संगठन

घ) सरकारी उपक्रम

ङ) विश्वविद्यालय

11. क्या आप पुनर्निर्धारित वेतनमान पर हैं? यदि हां तो वह दिनांक बताएं जब से पुनर्निर्धारण हुआ एवं यह भी बताएं कि पुनर्निर्धारित वेतन क्या था:

12. वर्तमान में प्रतिमाह परिलब्धियां:

13. पद के लिए उपयुक्तता के समर्थन यदि कोई अन्य अतिरिक्त सूचना जो आप देना चाहते हैं :
यदि यहां दी गई जगह कम है तो एक पृथक शीट पर विवरण लिखकर संलग्न करें।

14. क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से हैं:

15. टिप्पणी:

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

पता ....

मोबाइल नंबर ....

दिनांक: ....

सत्यनिष्ठ प्रमाण पत्र और दंड के संबंध में घोषणा

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमान / श्रीमती / कर्नल / कैप्टेन(भा. नौ.) / ग्रुप कैप्टेन .... की ईमानदारी संदेह से परे है।

2. अधिकारी को पिछले दस वर्षों में उसकी सेवा से संबंधित किसी भी प्रकार की चूक के लिए दंडित नहीं किया गया है।

या

अधिकारी को (अवधि) के दौरान (अपराध की प्रकृति) के लिए जुर्माना (जुर्माना की प्रकृति) लगाया गया है।

(सक्षम प्राधिकारी)